

मुख्यमंत्री जन आवास
योजना-2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं
अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्डों का
लॉटरी से आवंटन

योजना का शुभारम्भ 12.07.2021	श्यामाशिश कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्रा लि कार्यालय 5- सी, फर्स्ट फ्लोर, गुलाब टॉवर, डी सी एम, अजमेर रोड, जयपुर	आवेदन की अन्तिम तिथि 11.08.2021
---------------------------------	---	------------------------------------

आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा तथा आवंटन दर प्रति वर्गमीटर नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.01. 2021 के अनुसार होगी।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना

क्र. स.	विवरण	रेरा पंजीयन क्रमांक	आरक्षित दर	जोन संख्या
1.	योजना व ग्राम का नाम श्याम सरोवर ग्राम नाईवाला, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर।	RJ/P/2018/804 (www.rera.rajasthan.gov.in)	6000/- प्रति वर्गमीटर	12
		कमजोर आय वर्ग(EWS)	अल्प आय वर्ग(LIG)	
1.	योजना में इकाई की संख्या	39		25
2.	आवंटन दर	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत	
3.	आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	दिनांक 12.08.2021		
4.	आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाइट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	दिनांक 13.08.2021 से 16.08.2021 तक		
5.	प्राप्त आवेदन के निस्तारण की दिनांक	दिनांक 17.08.2021		
6.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय के प्रकाशन की दिनांक	दिनांक 18.08.2021		
7.	प्राप्त आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 20.08.2021 समय सांय 04 बजे स्थान श्याम सरोवर ग्राम नाईवाला, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर।		

- योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम व शर्तें इत्यादि वेबसाइट www.shyamashish.com पर देखी जा सकती है।

विकासकर्ता

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की आदर्श निर्देशिका

- योजना का विवरण :-** मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग इकाई का विकासकर्ता द्वारा आवास योजना "श्याम सरोवर" ग्राम नाईवाला, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर में कुल 39 ई0डब्ल्यू0एस0 एवं 25 एल0आई0जी0 इकाईयां हेतु आरक्षित भूखण्डों की आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	विवरण	कमजोर आर्य वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी
1.	रेरा पंजीयन क्रमांक	RJ/P/2018/804 (www.rera.rajasthan.gov.in)	
2.	योजना में इकाई की संख्या	39	25
3.	आवंटन दर	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत
4.	आवेदनकर्ता की सूची का प्रकाशन	दिनांक 12.08.2021	
5.	आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाइट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	दिनांक 13.08.2021 से 16.08.2021 तक	
6.	प्राप्त आवेदन के निस्तारण की दिनांक	दिनांक 17.08.2021	
7.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय के प्रकाशन की दिनांक	दिनांक 18.08.2021	
8.	पत्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 20.08.2021 समय सांय 04 बजे स्थान श्याम सरोवर ग्राम नाईवाला, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर।	
9.	विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता	श्यामाशिष कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्रा लि	
10.	वेबसाइट	www.shyamashish.com	
11.	सम्पर्क नं.	0141 4107885	

सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में विकासकर्ता द्वारा करवाया जावेगा।

2. आवंटन की प्रक्रिया :-

- भूखण्डों के लिए आवेदन विकासकर्ता की वेबसाइट www.shyamashish.com के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वीकृत किये जायेंगे।
- आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा के नाम एवं बैंक खाते के IFSC code को स्पष्ट व सही अंकित किया जाना चाहिए।
- ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन फार्म के साथ आवेदन शुल्क एवं पंजीकरण राशि के भुगतान के लिए ऑनलाईन राशि जमा करानी होगी। सफल आवेदकों को मांग पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन/डी.डी. (डिमाण्ड ड्राफ्ट)के माध्यम से मांग राशि जमा करानी होगी।
- आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो एवं बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है।

- 2.6 असफल आवेदको को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते अथवा जिस माध्यम से प्राप्त हुआ है उसी माध्यम से **Online** ही वापस कर दिया जायेगा।
- 2.7 प्रोविजन 1ए- लॉटरी से आवंटित पात्र सफल आवेदकों का विवरण विकासकर्ता द्वारा मय वांछित दस्तावेज क्षेत्रीय जोन उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा। क्षेत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों की लीजडीड जारी की जावेगी।
- 2.8 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 20.02.2018 के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के पश्चात, आवंटन से शेष आवासों का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।
- 2.9 राजस्थान रेरा प्राधिकरण में योजना का रेरा में पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
- 2.10 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि उक्त योजना के आवंटन में लागू रहेंगे।

3. लॉटरी हेतु आवेदन करने की पात्रता :

- 3.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
- 3.2 आवेदन फार्म में आवेदक को स्वयं का आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर अपडेट कराना होगा।
- 3.3 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/प्लैट (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- 3.4 जयपुर विकास प्राधिकरण से आवेदनकर्ता के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान अथवा भूखण्ड रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं हुआ हो। यदि गत 10 वर्ष में आवेदक ने आवंटन करवाकर भूखण्ड विक्रय कर दिया है तो आवंटन का पात्र नहीं है।
- 3.5 **नगरीय विकास एवं आवास विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.18 (36)यू.डी.एच./एन.ए.एच.पी./2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 एवं नवीनतम अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 के अनुसार कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) आवेदक की वार्षिक आय, भूखण्ड की इकाई का क्षेत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई है :-**

क्र.सं.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी
1	भूखण्ड का क्षेत्रफल	Upto 45 वर्गमीटर	Above 45 and upto 75 वर्गमीटर
2	योजना में इकाई की संख्या	39 भूखण्ड	25 भूखण्ड
3	(i)परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	3,00,000/-प्रति वर्ष	3,00,001/-से 6,00,000/- तक प्रति वर्ष
	(ii) इकाई कि आवंटन दर रूपये प्रति वर्गमीटर	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत
	(iii)पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)	10,000/-	20,000/-

- 3.6 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति,पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2019-2020 (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोंतों से हुई आय सम्मिलित होगी।
- 3.7 आवेदनकर्ता जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण में अंकित करना होगा।
- 3.8 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

3.9 योजनाओं में उपलब्ध भूखण्ड की संख्या में कमी/वृद्धि की सूचना विकासकर्ता/निजी खातेदार/फर्म की वेबसाइट पर अथवा जरिये विज्ञापित समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जावेगी। सफल आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।

3.10 आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप किसी एक निर्धारित आश्रित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जन जाति	अनु. जाति	ट्रांसजेंडर व्यक्ति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)	अनारक्षित श्रेणी
10%	6%	9%	02%	05%	02%	10%	56%
	10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनुजनजाति महिलाएं	सामान्य अनुजन जाति 10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनुजनजाति महिलाएं	सामान्य अनुजन जाति	10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनुजनजाति महिलाएं	सामान्य अनुजन जाति	शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित (अ) सैनिक विकलांग (ब) अन्य सैनिक (स)	

- आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों की नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नी एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणियों के अनुसार पात्रता रखता हो।
- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत है उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अनु.जाति/अनु.जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनु.जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं जो शारिरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रित से है।
- आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार में केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होंगे।
- सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट अथवा भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें।

- सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र सलंग्न करना आवश्यक है। सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
- (अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी. एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो)
- (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)
- (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

4. आवेदन की सामान्य शर्तें :-

- 4.1 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होवे एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो। **संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।**
- 4.2 लॉटरी में एक से अधिक योजनाओं में भूखण्डों के लिए सफल होने पर उच्चतम (प्रथम) वरीयता वाले भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।
- 4.3 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती है वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटन पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।
- 4.4 योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी की जा सकती है। जिसकी सूचना विकासकर्ता/निजी खातेदार/व्यक्ति/फर्म की वेबसाइट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जावेगी।

5. भूखण्ड के आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किये जाने के कारण

- 5.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच विकासकर्ता के स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 5.2 एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 5.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- 5.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र पस्तुत न किये जाने पर।
- 5.5 आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।
- 5.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
- 5.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।
- 5.8 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भूखण्डों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण विवरण दिया जाना आवश्यक है।
- 5.9 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जाँच संबंधित विकासकर्ता द्वारा की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त कर आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा वापिस ले लिया जावेगा।
- 5.10 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि भूखण्ड आवंटन करवाने में सफल हो जाता है। एवं आवंटन जारी होकर भूखण्ड की कीमत जमा पश्चात् भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विकासकर्ता/उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर भूखण्ड का कब्जा विकासकर्ता द्वारा ले लिया जावेगा।

6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

- 6.1 विकासकर्ता द्वारा निकाली जाने वाली लॉटरी में क्षेत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है जो आवंटित प्रक्रिया (Allotment Process) में भाग लेगे एवं लॉटरी में उपस्थित रहेंगे।
 - 6.2 योजना में भूखण्ड की लॉटरी निकालते समय कुल भूखण्डों की संख्या का 10 प्रतिशत वरियता के अनुसार प्रतिक्षा सूची में निकाली जावेगी। लॉटरी में सफल आवेदक को आवंटित भूखण्ड की राशि समय पर जमा नही कराने अथवा आवेदन निरस्त कराने की दशा में वरियता के आधार पर आवंटित किये जा सकेंगे।
 - 6.3 **लॉटरी में सफल हुए आवेदक निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर-अन्दर सम्बन्धित विकासकर्ता के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।**
 - शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए)
 - जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/अंकतालिका आदि में से कोई भी।)
 - आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)
 - सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2019-20 (अथवा जो वित्तीय वर्ष लागू हो) को प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
 - आरक्षित श्रेणी के सफल आवंटी को संबंधित प्राधिकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति यथा-Govt. Employee/SC/ST/Handicap/Accredited Journalist/Soldier
 - 6.4 विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे। मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में भूखण्ड की कीमत विकासकर्ता को जमा करवानी होगी।
 - 6.5 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में निर्धारित माध्यम से NEFT/RTGS/बैंक ड्राफ्ट द्वारा विकासकर्ता के खाते में एक मुश्त जमा करानी होगी।
 - 6.6 आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्डों का मौके पर डिमारकेशन विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।
- ## 7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :
- 7.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बचत खाता संख्या अंकित बैंक एवं IFSC Code में ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावेगी
 - 7.2 असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा आवेदक द्वारा गलत IFSC Code बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने पर विलम्ब होने पर जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :

- 8.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे तथा भूखण्ड की लीज डीड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जावेगी।
- 8.2 आवंटित भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित भूखण्ड का आवंटन कम कब्जा पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।
- 8.3 सफल आवंटित द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड की लीजडीड हेतु स्वयं उपस्थित होकर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।
- 8.4 जोन उपायुक्त द्वारा आवंटियों को लिखित में लीजडीड निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जायेगा। सफल आवंटित द्वारा निर्धारित मांग राशि स्वयं जमा करवाने के उपरान्त लीजडीड जारी की जायेगी।
- 8.5 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जायेगा।
- 8.6 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।
- 8.7 राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आवंटित भूखण्ड का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है अतः विकासकर्ता द्वारा भी हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर भूखण्ड का कब्जा विकासकर्ता अथवा स्थानीय निकाय (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।
- 8.8 आवंटन में भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने का समस्त अधिकार होंगे।
- 8.9 निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का निर्माण कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- 8.10 लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध भूखण्ड की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।
- 8.11 आवेदक पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
- 8.12 आवंटन के सम्बन्ध में भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम, आदेश/निदेश लागू होंगे।
- 8.13 किसी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....

.....आयु.....निवासी.....

.....शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- 1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- 2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूंगा/दूंगी।
- 3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनुजाति/अनुजनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस संबंध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे, मैं प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।
- 4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- 5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे स्वयं पति/पत्नी तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....जाति.....निवासी.....
.....तहसील.....जिला.....
.....राज्य..... की स्वयं पत्नी/पति एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रु0.....
.....प्रतिवर्ष है एवं मेरा पैन नम्बर है।

स्थान :

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....शपथ पूर्व
घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित
प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीइस विभाग में.....
.....पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा
केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल मासिक आय
रु0.....प्रति माह हैं।

दिनांक :

स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के
हस्ताक्षर मय मोहर विभाग/उपक्रम का नाम

आय प्रमाण-पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीइस कम्पनी/फर्म
में.....पद पर कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय रु0.....
.....प्रतिवर्ष हैं।

दिनांक :

स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष के
हस्ताक्षर मय मोहर विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....निवासी.....जिला.....सम्भाग.....राज्य.....
.....जाति.....के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा।)

प्रमाणित किया जाता है कि.....

(रैंक).....(नाम).....

(नम्बर).....

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रुपये.....प्रतिमाह हैं।
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी मासिक आय रुपये.....प्रतिमाह थी।
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री.....है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रु.....प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी /सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्रीआयु.....
निवासी..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ
कि

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा पलैट् हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड अथवा पलैट् आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे/पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड अथवा पलैट् आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों अथवा पलैट्स में से कोई भूखण्ड अथवा पलैट् आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्रीआयु.....
निवासी..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ
कि

- (1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
- (2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नि/ पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
- (4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....शपथ पूर्व
घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत
घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के
तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....निवासी.....
.....की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान :
दिनांक :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...
.....निवासी.....तहसील.....जिला.....अधिस्वीकृत
पत्रकार हैं।

स्थान :
दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारीके हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।